दिनांक 02–02–2023 को जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।

बैठक में उपस्थिति:–

1. श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी नैनीताल।
2. श्री सुनील कुमार पन्त, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. श्री राहुल वर्मा, उपायुक्त, राज्य कर, हल्द्वानी।
4. श्री आर0सी0 बिन्जोला, अध्यक्ष हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हल्द्वानी।
5. श्री मनोज डागा, सचिव हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हल्द्वानी।
6. श्री कमल कफल्टिया, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल।
7. श्री आर.के. सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल।
8. श्रीमती पूनम काण्डपाल, प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हल्द्वानी।
9. श्री जे.डी. काण्डपाल, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रामनगर।
10. श्री वैभव प्रताप, सहायक लीड बैंक प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नैनीताल।
11. श्रीमती रश्मि भट्ट, ए0आर0टी0ओ0, परिवहन विभाग, हल्द्वानी।
12. श्री गोपाल सिंह बिष्ट, उप निबन्धक, हल्द्वानी।
13. श्री हरीश जोशी, ए.एस.ओ., उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
14. श्री धीरज सिंह, के.बी.एस.ए., कृषि विभाग, नैनीताल।
15. श्रीमती ऋचा जोशी, जिला पंचायत नैनीताल।
16. श्री महेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर।
17. श्री योगेश तिवारी, वन क्षेत्राधिकारी, वन प्रभाग, नैनीताल।
18. श्री रविन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, हल्द्वानी।
19. श्री ललित गौड, सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, हल्द्वानी।
20. श्री भानू प्रताप हर्बोला, वन क्षेत्राधिकारी, वन प्रभाग, नैनीताल।
21. श्री संजीव कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नैनीताल।
22. श्री अमित बंसल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी।
23. श्री जी.एस. तोमर, अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, नैनीताल।
24. श्री बेगराज सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 नगर, रामनगर।
25. श्री डी0डी0 पांगती, अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 ग्रामीण, हल्द्वानी।
26. श्री विनोद बरकोटी, सर्वेक्षक खनन विभाग, हल्द्वानी।
27. श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
28. श्री हेम काण्डपाल, कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
29. श्री दयाल जोशी, प्रो0 मैसर्स हर्ष पैकेजिंग, कोटाबाग।
30. श्री सुदीप अग्रवाल, निदेशक मैसर्स भवानी प्लास्टिक, हल्द्वानी।
31. श्री उमेश डालाकोटी, उपाध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हल्द्वानी।
32. श्री मलय त्रिपाठी, उद्यमी मै0 पिनेकल, कोटाबाग।

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय एवं अन्य उपस्थित समस्त विभागों के अधिकारियों एवं उद्यमियों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुए निम्न प्रकार बैठक आयोजित की गयी :–

<u>विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टिः–</u> महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 20–07–2022 एवं 10–08–2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या क्रमशः 721–सी दिनांक 27–07–2022 एवं 830–सी दिनांक 17–08–2022 द्वारा सभी सदस्य/विभागों को अनुपालन हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

<u>बिन्दु संख्या 01 :–</u> कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में उद्योग मित्र की पूर्व बैठकों में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में चौड़ीकरण किये जाने हेतु 32 कि.मी. लम्बाई हेतु 73.28 लाख का प्रथम चरण के कार्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 922/13याता0–ह0/2020 दिनॉक 25–02–2021 द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया है। अधि0अभि0,लो0नि0वि0,रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 1960/1सी दिनॉक 26 नवम्बर, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य की वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है।

उद्यमियों की मांग पर कालाढुंगी से कोटाबाग मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के चौडीकरण किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व बैठको में अध्यक्ष महोदय के निर्देशो के क्रम में बजूनिया–हल्दू–मूसाबंगर होते हूए पतलिया गॉव से कोटाबाग बाजार तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 7 कि.मी.) के चौडीकरण हेतु अनुमानित लागत 21.00 लाख का प्रस्ताव पत्रांक 556/1 सी0 दिनॉक 26–04–2022 द्वारा अधी0 अभि0, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल को प्रेषित किया गया था जो वर्तमान में उनके पत्रांक 923/520सी –02/2022 दिनॉक 28–5–2022 द्वारा दिनॉक 06–06–2022 को खण्ड में आपत्तियों के साथ प्राप्त हुआ। आपत्ति निराकरण कर आगणन अधि0अभि0, रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 1094/1सी दिनॉक 19–07–2022 द्वारा पुनः अधी0अभि0, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल को प्रेषित कर दिया गया था। अधि0 अभि0, लो0नि0वि0, रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 1960/1सी दिनॉक 26–11–2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिक्षण अभियंता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 2590/520सी0 नैनीताल–02/20–21 दिनॉक 26–07–2022 के द्वारा मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को प्रेषित किया गया, जो कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक 2784/13 याता0–हल्द्वानी/2020 दिनॉक 29–10–2022 द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित कर दिया गया है। उक्त कार्य की स्वीकृति वर्तमान तक अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रकरणों पर शासन को पत्र भेजे जाने के निर्देश दिये।

<u>कार्यवाहीः– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, रामनगर।</u>

<u>बिन्दु संख्या 02 :–</u> सूर्यागॉव साततल मोटर मार्ग निर्माण किये जाने सम्बन्धित प्रकरण पर विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के प्रथम चरण का आगणन 61.50 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0, नैनीताल को प्रेषित किया गया था। अधि0अभि0, लो0नि0वि0,भवाली द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सड़क के प्रस्ताव का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 6526/12याता–

हल्द्वानी/2020 दिनॉक 30-12-2021 के द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित की गयी है। महाप्रबन्धक जि0उ0के0 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20-07-2022 को सम्पन्न जिला उद्योग मित्र की विगत बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्रांक 700-03/जि.उ.के./उद्योग मित्र दिनांक 27-07-2022 द्वारा आगणन प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर शासन स्तर से स्वीकृती वर्तमान तक अपेक्षित है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण पर पुनः अनुस्मारक पत्र शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

बिन्दु संख्या 03 :- ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर, रोड हल्द्वानी से भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20-07-2022 को सम्पन्न विगत बैठक में उपस्थित अधि0 अभि0, लो0नि0वि0 ने अवगत कराया कि खनन न्यास निधि में उक्त मार्ग का आगणन गठित कर लागत रू0 82.51 लाख, पूर्व में ही दिनांक 06.05.2022 को प्रेषित कर दिया गया है। परन्तु सम्बन्धित मार्ग का आगणन नई Schedule of Rate (SOR) के अनुसार गठित कर भेजा जाना भी प्रस्तावित है। नई Schedule of Rate (SOR) दरें जुलाई माह में जारी होने की सम्भावना है। चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में अधि0 अभि0, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को यथाशीघ्र औपचारिकता पूर्ण कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

महाप्रबन्धक जि0उ0के0 द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त निर्देशों के क्रम में अधि0 अभि0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 2792/7सी दिनॉक 07-11-2022 द्वारा उक्त सम्पर्क मार्ग का बी0सी0/ डी0बी0एम0 द्वारा नव निर्माण कार्य, लम्बाई 0.580 कि0मी0, लागत 99.15 लाख गठित कर अधी0 अभि0, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। प्रकरण पर बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से इस आपत्ति के साथ वापस कर दिया गया है कि मार्ग मरम्त हेतु ट्रैफिक की गणना विडियो बेस्ड सिस्टम से करायी जाने के उपरान्त ही आंगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाए, जिस पर अधि0अभि0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आपत्ति निराकरण के उपरान्त सम्बन्धित मार्ग के प्रथम चरण का आगणन 15 दिन के भीतर प्रेषित कर दिया जाएगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:- अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।

बिन्दु संख्या 04 :- ग्राम हरिपुर जमनसिंह स्थित मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड कैमिकल फैक्ट्री एवं अन्य इकाईयों में पेय जल संकट होने विषयक बिन्दु के सम्बन्ध में विगत बैठक में उत्तराखण्ड पेय जल निगम, भीमताल द्वारा अपने पत्रांक 1340 दिनांक 27.04.2022 द्वारा उक्त ग्राम हेतु संचालित योजना को दिनांक 19.01.2021 को उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तातरित किया जाना बताया है। जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्रांक

986 दिनांक 27.04.2022 द्वारा बताया गया कि उक्त ग्राम हेतु योजना जल निगम, भीमताल को आवंटित है। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व बैठक में जल संस्थान को सम्बन्धित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिए जिला योजना के अन्तर्गत पेयजल लाईन निर्माण करने हेतु निर्देशित किया।

अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः इस सम्बन्ध में अधि0अभि0, जल संस्थान, को सम्बन्धित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये थे, किन्तु **प्रकरण पर संबंधित विभागों द्वारा वर्तमान तक अपेक्षित कार्यवाही न किये जाने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारी हल्द्वानी की अध्यक्षता में समिति गठित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित स्थान पर किस विभाग से योजना का संचालन किया जा रहा है व सम्बन्धित विभाग तत्काल समस्या का निवारण सुनिश्चित करें।** साथ ही हिमालयन चैम्बर्स द्वारा रामपुर रोड हल्द्वानी पर स्थापित इकाईयों में पीने के पानी की समस्या से सम्बन्धित बिन्दु पर बैठक मे उपस्थित जल निगम के सहायक **अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का पूर्नगठन कर टेन्डर सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है एवं नई लाईन का निर्माण किया जाना है। एक माह में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाएगी।**

जिलाधिकारी महोदय द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>कार्यवाही:-- महाप्रबन्धक जि0उ0के0/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, हल्द्वानी।</u>

<u>बिन्दु संख्या 05 :-</u> लीसा इकाइयों द्वारा लीसे का मूल्य अधिक होने के कारण एवं इस पर 10.5 प्रतिशत का अधिक कर होने से उद्योग बन्द होने के कगार पर है। लीसा नीलाम की शर्त संख्या 17 में दिनांक 25.09.2020 में जिस शासनादेश का उल्लेख किया गया है उसे मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा समाप्त करते हुये इसे 2 प्रतिशत निर्धारित करते हुये इससे अधिक जमा की गयी धनराशि को वापस/समायोजित किया जाये की मांग की गयी है एवं लीसा इकाईयां 04 माह से नीलामी न होने से बंद पड़ी है। इसके अतिरिक्त लीसा इकाईयों से मण्डी शुल्क भी लिया जा रहा है। लीसा इकाईयों द्वारा लीसे का मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 2 प्रतिशत अथवा 12.5 प्रतिशत होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने संबंधी बिन्दु पर विगत बैठक में उपस्थित प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया था कि, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्देशों के अनुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क वसूला जाता था। परन्तु उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-2 के आदेश संख्या 2021/X-2-2020-15(04)2013 दिनांक 25.09.2020 के क्रम में लीसे की बिक्री पर 12.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली कर, नीलाम में बिक्री किये गये लीसे का निस्तारण किया जा रहा है।

बिन्दु पर चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का सन्दर्भ लेते हुए सचिव, वन विभाग एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि महोदय के माध्यम से सचिव, वित्त विभाग को संदर्भित प्रकरण पर पत्रांक 838-39/जि.उ.मि./2022 दिनॉक 17-08-2022 तथा सचिव, वन विभाग, वन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को संदर्भित प्रकरण पर पत्रांक 840-41/जि.उ.मि./2022 दिनॉक 17-08-2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है। संदर्भित प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है।

जिस पर बैठक में उपस्थित वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रकरण पर शासनादेश जारी नहीं हो पाया है, जिस कारण सम्बन्धित इकाईयों से 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि के रूप में धनराशि जमा करायी जा रही है।

प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही:-- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

बिन्दु सख्या 06 :-- हर्ष पैकेजिंग कोटाबाग में विद्युत की अनियमतता सम्बन्धी बिन्दु पर महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि, दिनॉक 10-08-2022 को सम्पन्न बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर से तथा सम्बन्धित क्षेत्र में स्थापित इकाई स्वामियों से उक्त समस्या के निराकरण हेतु उपाय पर चर्चा हेतु कहा गया। अधि0अभि0 द्वारा अवगत कराया गया कि समस्या के निवारण हेतु विद्युत सप्लाई के रोस्टिंग समय निर्धारित जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कर दिये गये है। साथ ही लाइनों के समीप आ रही वृक्षो की टहनियों की लौपिंग-चौपिंग करा दी गयी है। कुछ वृक्ष जिनका पातन किया जाना आवष्यक है, उनके पातन हेतु वन विभाग से पत्राचार किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 5227/वि.वि.ख.(रा)/ड. दिनॉक 18-11-2022 द्वारा अवगत राया गया है कि 33/11 के0वी0 कोटाबाग से निकलने वाले 11 के0वी0सेल्सिया फीडर की लम्बाई 30 कि.मी. है, जिसमे 13 कि.मी. घने जंगल है (पाण्डे गॉव से तलिया तक 5 कि.मी., ज्योतिधाट लाईन 2 कि.मी., रूड़की से देगॉव-थपलियागॉजा 6 किमी) जिसको विभाजित करने हेतु प्रेपोजल मुख्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, निविदा आमंत्रित की जा रही है, उक्त कार्य को सम्पादित करने में लगभग 6 माह का समय लगेगा। जिससे विद्युत व्यवधान मे कमी आयेगी तथा क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुलभ हो सकेगी। नयागॉव क्षेत्र में औद्योगिक उपभोक्ता होने के कारण उक्त क्षेत्र को निर्वाध विद्युत आपूति सुलभ करने के लिए इन्टीग्रेटेड पावर डैव्लपमेन्ट स्कीम(आई.पी.डी.एस.) समेकित ऊर्जा विकास योजना के तहत ए0बी0 केबिल द्वारा नये पोषक का निर्माण किया गया था, लेकिन दैवीय आपदा के कारण कुछ स्थानों पर उक्त केबिल पेडों की टहनियॉ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गयी थी। उक्त कार्य वर्तमान में गारन्टी अवधि में है, जिसे अधि0अभि0(परियोजना) खण्ड हल्द्वानी द्वारा मैसर्स एस0जे0, टान्सफार्मर से ठीक कराया जा रहा है, कार्य को पूर्ण करने में लगभग 1 माह का समय लगेगा। क्षतिग्रस्त केबिल बदलने का कार्य पूर्ण होने तक क्षेत्र को दूसरी लाईन से आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि नयागॉव क्षेत्र में संभावित औद्योगिक विकास के दृष्टिगत दीर्घकालीन निदान हेतु उक्त क्षेत्र में पूर्व में एक 33 के.वी. विद्युत उपसंस्थान प्रस्तावित किया गया था, क्षेत्र के औद्योगिक एवं स्थानीय लोगो से भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क किया गया लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उपसंस्थान निर्माण का कार्य लम्बित है।

महाप्रबन्धक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि, विकासखण्ड कोटाबाग की अन्य औद्योगिक इकाईयॉ मै0 आदित्य इण्डस्ट्रीज नयागॉव कालाढूंगी, मै0 मिशो फ्रेश प्रा0लि0 बजुनिया हल्दू कोटाबाग, मै0 पूजा प्रिन्ट पैक ग्राम पतलिया कोटाबाग एवं मै0 फुलारा हैचरी एण्ड ब्रिडिंग फार्म ग्राम पुरनपुर तहसील कालाढूंगी द्वारा भी कोटाबाग में बनी हुई विद्युत अनियमितता के स्थायी निदान हेतु उपसंस्थान कोटाबाग में पहाडी क्षेत्र के लिए पृथक से इण्डस्ट्रीयल फीडर बनाये जाने की मांग की गयी है।

प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्या के निवारण हेतु विद्युत सप्लाई के रोस्टिंग समय निर्धारित करने एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर विद्युत लाईनों के समीप आ रहे वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु वन विभाग को पत्र प्रेषित किये जाने तथा नयागांव क्षेत्र में संभावित औद्योगक विकास के दृष्टिगत 33 के.वी. उपसंस्थान हेतु सरकारी भूमि चिन्हित किये जाने के लिए उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

साथ ही हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा उद्यमियों की मांग पर पृथक से इण्डस्ट्रीयल फीडर बनाये जाने हेतु अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड रामनगर को यह भी निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की संभावनाओं के दृष्टिगत स्थापित इकाईयों की सूची, पूंजी निवेश व रोजगार को दर्शाते हुए, इण्डस्ट्रीयल फीडर स्थापना हेतु एक प्रस्ताव अपने स्तर से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>कार्यवाही:– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी/अधि0अभि0, वि0वि0ख0, रामनगर।</u>

<u>बिन्दु संख्या 07 :–</u> मै0 एन.बी. मिनरल कॉरपोरेशन जो उत्तराखण्ड में एक मात्र मैग्नेसाइट सप्लाई करने वाली माईन है जोकि विगत 02 साल से बंद है जिससे इस इकाई से कच्चा माल प्राप्त करने वाले कुमाऊँ रीफ्रैक्टरीज एवं मै0 नोवल कास्टेबल भी कच्चा माल प्राप्त न होने से बंद होने सम्बन्धी बिन्दु पर महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि, यह प्रकरण पूर्व की बैठकों में भी प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिस पर विगत बैठकों में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार क्रमशः पत्र संख्या 1496–97 दिनांक 31.12.2019 एवं 604–05 दिनांक 07.08.2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव खनन को प्रेषित किया गया था। विगत बैठक दिनांक 20–07–2022 को दिये गये निर्देशों के क्रम में पुनः अपर मुख्य सचिव (खनन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अध्यक्ष महोदय द्वारा हस्ताक्षरित अनुस्मारक पत्र संख्या 697–99 दिनांक 27–07–2022 प्रेषित किया गया है। जिस पर कार्यवाही शासन स्तर पर अपेक्षित है।

प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर मुख्य सचिव (खनन) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>कार्यवाही:– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।</u>

<u>बिन्दु संख्या 08 :–</u> सोप स्टोन के भण्डार विषयक बिन्दु पर महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि, दिनॉक 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न जिला उद्योग मित्र की बैठक में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा पृथक से सम्बन्धित विभाग के साथ इकाईयों की बैठक कराने हेतु निर्देशित किया गया तद्क्रम में दिनांक 10–08–2022 को सम्पन्न बैठक में सोप स्टोन के भण्डारण हेतु हिमालयन चैम्बर्स के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि, सोप स्टोन के भण्डारण हेतु अलग से लाईसेंस की आवश्यकता है, परन्तु पुरानी रिपोर्ट के आधार पर ही सोप स्टोन के भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाये। बैठक में चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति व्यक्त की गयी थी। **"भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के द्वारा अपने पत्रांक 1173/भू0खनि0ई0/उ0मित्र बैठक/2022–23 दिनॉक 26–11–2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021"** के प्राविधानुसार राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा पांच वर्ष की

अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। इस स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। वर्तमान में प्रख्यापित उपरोक्त नीति के प्राविधानानुसार सोपस्टोन भण्डारण अनुज्ञा हेतु प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्सस प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2021 के प्राविधानानुसार पल्वराइजर प्लान्ट की स्थापना/संचालन तथा प्लान्ट परिसर में खनिज सोप स्टोन, लाइमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा पांच वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी। पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वइराइजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई हो, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

बैठक में चर्चा के दौरान हिमालयन चैम्बर के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि, विकासखण्ड हल्द्वानी व तहसील लालकुऑं अन्तर्गत स्थापित निम्न इकाईयों के आवेदन पत्र राजस्व विभाग स्तर पर लम्बित हैं।

1.	मै0 शिव ट्रेडर्स, बरेली रोड हल्द्वानी।	11.	मै0 आर.के. मिनरल्स, गौरा पड़ाव, हल्द्वानी।	21.	मै0 बालाजी मिनरल्स, ग्राम पदमपुर देवलिया, हल्द्वानी।
2.	मै0 शिव मिनरल्स, बरेली रोड हल्द्वानी।	12.	मै0 कलास ट्रेडर्स, ग्राम हरिपुर मोतिया रामपुर रोड हल्द्वानी।	22.	मै0 श्री सिद्धि विनायक मिनरल्स, ग्राम मोटाहल्दू, लालकुऑं।
3.	मै0 कालाकोटी माईन्स एण्ड मिनरल्स, चॉदनी चौक घुड़दौड़ा, हल्द्वानी।	13.	श्रीमती नंदिता तिवारी पत्नी स्व0 जगदीश तिवारी, ग्राम फत्ताबनगर, लालकुऑं।	23.	मै0 एसोसिएट सोप स्टोन मिनरल्स डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन प्रा0लि0, हरिपुर मोतिया रामपुर रोड हल्द्वानी।
4.	मै0 परिहार मिनरल्स, गंगापुर कबड़वाल, लालकुऑं।	14.	मै0 देवराज मिनरल्स, ग्राम हरिपुर जसनसिंह, हल्द्वानी।	24.	मै0 माँ काली इण्डस्ट्रीज, ग्राम गंगापुर कबड़वाल, हल्द्वानी।
5.	मै0 सिद्धबली माईन्स एण्ड मिनरल्स, चॉदनी चौक घुड़दौड़ा, हल्द्वानी।	15.	मै0 कुमाऊँ माईन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम फत्ताबनगर, लालकुऑं।	25.	मै0 केसर मिनरल्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम हरिपुर पूर्णानंद अर्जुनपुर, हल्द्वानी।
6.	मै0 आर.पी. मिनरल्स, ग्राम हरिपुर मोतिया, हल्द्वानी।	16.	मै0 मेहता मिनरल्स, ग्राम हरिपुर पूर्णानन्द, अर्जुनपुर हल्द्वानी।	26.	मै0 गोपाल उद्योग, मोटाहल्दू, लालकुऑं।
7.	मै0 विनायक मिनरल्स एण्ड ट्रेडर्स, चॉदनी चौक घुड़दौड़ा, हल्द्वानी।	17.	मै0 भरत माईन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम हरिपुर मोतिया, रामपुर रोड हल्द्वानी।	27.	मै0 श्रीराम मिनरल्स, मोटाहल्दू लालकुऑं।
8.	मै0 मढ़िया माईनिंग कॉरपोरेशन, ग्राम हरिपुर पूर्णानन्द, अर्जुनपुर हल्द्वानी।	18.	मै0 भरत माईन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम चॉदनी चौक, रामपुर रोड हल्द्वानी।	28.	मै0 गोल्जू सोप स्टोन माईन्स, ग्राम दौलिया लालकुऑं।
9.	मै0 माँ दुर्गा माईन्स एण्ड मिनरल्स ग्राम हरिपुर पूर्णानन्द, अर्जुनपुर हल्द्वानी।	19.	मै0 वरदान मिनरल्स, ग्राम बजवालपुर रोड हल्द्वानी।	29.	मै0 20 माइक्रोन लिमिटेड, ग्राम हरिपुर मोतिया रामपुर रोड हल्द्वानी।
10.	श्री ऋषभ अग्रवाल पार्टनर यूनिवर्सल माईन्स एण्ड मिनरल्स, कमलुवागांजा हल्द्वानी।	20.	मै0 दीवान सिंह पपोला, ग्राम भगवानपुर मोतीनगर, हल्द्वानी।	30.	मै0 शिवांता जे.डी. टाल्क।

बैठक में चर्चा के उपरान्त सोप स्टोन भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर लम्बित आवेदनों पर अनुज्ञाएं जारी करवाने हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यवाही :- उपनिदेशक खनन/अपर जिलाधिकारी (वि/रा), नैनीताल।

बिन्दु संख्या 09 :– जोशी इन्टरप्राइजेज द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट हेतु रू0 284.00 लाख का ऋण चाहने सम्बन्धी बिन्दु पर महाप्रबन्धक जि0उ0के0 द्वारा अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रकरण पर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि जोशी इन्टरप्राइजेज द्वारा उनके बैंक से आवेदन वापस ले लिया गया है तथा वर्तमान में यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा उक्त आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बिन्दु निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या 10 :– स्वरोजगार प्रशिक्षुओं और ग्राम स्वंय सहायता समूह के द्वारा निर्मित सामान को बाजार आउटलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु डोलमार (भुजियाघाट) में स्थान उपलब्ध कराये जाने विषयक बिन्दु पर विगत बैठक में उपस्थित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत कराया गया था कि पूर्व में श्री लोहिया जी को उक्त स्थान पर आउटलेट संचालित किये जाने हेतु स्थान आवंटित किया गया था परन्तु उनके द्वारा कार्य आरम्भ न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। उद्यमी श्री लोहिया की मांग पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विगत बैठक में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को उक्त स्थान पुनः आवंटित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बिन्दु निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या 11 :– मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड केमिकल द्वारा अवगत कराया गया है कि, उनकी इकाई ब्याज उपादान योजना हेतु पात्र है, पूर्व में इकाई को ब्याज उपादान मिलता रहा है। वर्तमान में मात्र बैंक बदलने से उपादन नहीं मिल पा रहा है। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई को कार्यालय पत्रांक 1275 दिनॉक 29 नवम्बर, 2022 द्वारा तद्सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी से अवगत करा दिया गया था। साथ ही कार्यालय पत्रांक 1613–सी दिनॉक 21 जनवरी, 2023 जोकि निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय देहरादून को सम्बोधित है व इकाई को पृष्ठांकित है के द्वारा इकाई से सम्बन्धित प्रकरण पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है। प्रकरण नीति विषयक है, उद्योग निदेशालय से प्राप्त अग्रिम निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

कार्यवाही:– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

बिन्दु संख्या 12 :– मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड केमिकल द्वारा MSME D Act-2006 सुकरीकरण परिषद (उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उधम सुकरीकरण परिषद नियमावली, 2018) की एक बैठक हल्द्वानी में आयोजित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सुनवाई के बाद राशि की वसूली की प्रक्रिया व अपील सुकरता परिषद के माध्यम से ही करने सम्बन्धी नियम बनाये जाने तथा विवादित राशि की वसूली हेतु स्टाम्प शुल्क को समाप्त किये जाने तथा वसूली की व्यवस्था भू–राजस्व की भांति किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को अनुरोध पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित करते हुए बिन्दु निस्तारित किया गया।

कार्यवाही :– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

बिन्दु सख्या 13 :– मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड केमिकल द्वारा नारायण नगर में होने वाली लीसे की नीलामी पूर्व की भांति हल्द्वानी में किये जाने एवं हिमालयन चैम्बर द्वारा लीसा इकाईयों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं संचालन हेतु पूर्व की भांति प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग से कराये जाने हेतु अनुरोध सम्बन्धी बिन्दु पर बैठक में चर्चा के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रमुख सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही :– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

बिन्दु सख्या 14 :– हिमालयन चैम्बर्स द्वारा उद्योगो की समस्याओं के निस्तारण हेतु एक राज्य स्तरीय उद्योग मित्र बैठक का आयोजन जनपद स्तर पर स्थान हल्द्वानी में किये जाने सम्बन्धी बिन्दु पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेशक उद्योग को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही :– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

बिन्दु सख्या 15 :– हिमालयन चैम्बर्स द्वारा इकाई मै0 पिनेकल के भूमि ट्रासफर पर स्टाम्प ड्यूटी छूट सम्बन्धी बिन्दु पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित इकाई स्वामी श्री मलय त्रिपाठी द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि उक्त प्रकरण आयुक्त (कुमॉऊ मण्डल) महोदय नैनीताल के न्यायालय में विचाराधीन है। **चर्चा के उपरान्त बैठक में निर्णय लिया गया कि, प्रकरणँ न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस स्तर से कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है।**

कार्यवाही :– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

बिन्दु सख्या 16 :– मिनी औद्योगिक आस्थान बेतालघाट के भूखण्ड सं0 6 से 11 जिसका क्षेत्रफल 1391.80 वर्ग मी0 है, जो श्री वंशीलाल जलान पुत्र श्री हनुमान दास जलान, प्रो0 सुजाता ज्वैलर्स, इण्डस्ट्रीज के नाम से चूड़ी निर्माण हेतु आवंटित है। आवंटी ने नोटराईज शपथ पत्र 11–11–2022 के द्वारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण उपरोक्त भू–खण्डों को श्री राहूल अरोड़ा पुत्र श्री पी.डी.अरोड़ा निवासी–धीनाई डेरी, पो0–भतरौजखान को हस्तानान्तरित करना चाहते हैं। हस्तान्तिरणग्राही द्वारा उक्त भू–खण्डों में रेडीमेड गारमेंट की इकाई संचालित करने हेतु आवेदन किया गया है।

महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि भू–खण्ड हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 999/VII-2/34-MSME/2016 दिनॉक 26–5–2016 के प्रस्तर 15 के बिन्दु (ख) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1031()VII-3-20/34-एम0एस0एम0ई0/2016 दिनॉक 28 सितम्बर, 2020 के अनुसार हस्तानान्तरण के मामलों में हस्तानान्तरण हेतु संस्तुति देने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को है, उद्योग मित्र की संस्तुति के आधार पर औद्योगिक आस्थान के भूखण्डो/शेडो के हस्तानान्तरण की अनुमति निदेशक उद्योग द्वारा प्रदान की जाएगी। **प्रकरण पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान कर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही** किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही :– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

एक जनपद दो उत्पाद (ओडीटीपी) योजना की समीक्षा :–

महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी द्वारा एमएसएमई उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 1423/VII-3-21/02-(02)–एमएसएमई/2021 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रख्यापित एक जनपद दो उत्पाद (ओडीटीपी) One District Two Product योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल हेतु चयनित एपण क्राफ्ट एवं फल प्रसंस्करण पर जनपद नैनीताल की कार्ययोजना जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा अवगत कराया गया कि सचिव महोदय, एमएसएमई द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त जिलाधिकारी योजना की समीक्षा कर, कार्य योजना में सुधार कर, शासन को उपलब्ध करायेंगे।

महाप्रबन्धक द्वारा यह भी बताया गया कि जनपद में एपण क्राफ्ट एवं फल प्रसंस्करण का कार्य कर रहे हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों का सर्वे कार्य किया जा रहा है। कार्ययोजना पर चर्चा के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद से चयनित एपण क्राफ्ट एवं फल प्रसंस्करण उत्पादों की गुणवत्ता, परिसज्जा, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, ब्राण्ड डिजाइनिंग तथा विपणन को और अधिक बेहतर बनाये जाने हेतु चयनित उत्पादों के लिए सुझावों को आमंत्रित कर, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, काठगोदाम हल्द्वानी का सहयोग लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये ताकि एक जनपद दो उत्पाद योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

कार्यवाही :– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।

अंत में महाप्रबन्धक जि0उ0के0 द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी विभागीय/बैंक अधिकारियों एवं उद्यमियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के समापन की घोषणा की गयी।

(सुनील कुमार पंत)
सचिव/महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र,
हल्द्वानी (नैनीताल)

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय : महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांक 1674-सी/जि.उ.के./उ.मि./2022–23 दिनांक 08 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि : **निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– निदेशक उद्योग महोदय, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल।
3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, भीमताल (नैनीताल)।
4– अध्यक्ष/सचिव हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज, शारदा बिल्डिंग, काठगोदाम।
5– समस्त सदस्य/विभाग, जिला उद्योग मित्र समिति, नैनीताल।

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
हल्द्वानी(नैनीताल)।